BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 07 फरवरी, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के 02 आरोपियों को 20-20 वर्ष का कारावास व 60,000/-60,000/ रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. रवि पुत्र विजय, 2. सुन्दर पुत्र भीम सिंह निवासीगण ग्राम अरनिया मन्सूरपुर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2015 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी एक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाना व दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 07.03.2015 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं– 308/2015 धारा 363/366/376डी भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 08.06.2015 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 07.02.2025 को न्यायाधीश श्री संजय कुमार यादव (मा0 न्यायालय पोक्सो-I जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रवि व सुन्दर को 20-20 वर्ष का कारावास व 60,000/-60,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री महेश राघव, श्री धर्मेन्द्र राघव व श्री भरत शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।